समाहरणालय, बक्सर
(खनन शाखा)

पत्रांक ..../खनन,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार,पटना।

बक्सर, दिनांक / /2017

विषय : लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति एवं आवेदन हेतु आवश्यक सूचना का विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति लिए आवश्यक सूचना हेतु विज्ञप्ति की पॉच प्रतियॉ CD सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयांकित आवश्यक सूचना का प्रकाशन दो प्रमुख स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह०/-
जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 279 /खनन, दिनांक 18/10/17।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना की प्रति अविलम्ब जिला खनन शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर आपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

18/10/17

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

समाहरणालय, बक्सर
(खनन शाखा)

पत्रांक ..../खनन,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार,पटना।

बक्सर, दिनांक / /2017

विषय : लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति एवं आवेदन हेतु आवश्यक सूचना का विज्ञापन प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति लिए आवश्यक सूचना हेतु विज्ञप्ति की पॉच प्रतियॉ CD सहित संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयांकित आवश्यक सूचना का प्रकाशन दो प्रमुख स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक : यथोपरि।

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 279 /खनन, दिनांक 18/10/17।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञप्ति सूचना की प्रति अविलम्ब जिला खनन शाखा, बक्सर को प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/आई0टी0 प्रबंधक, बक्सर को सूचनार्थ एवं बक्सर जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर आपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

समाहरणालय, बक्सर
(खनन शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

लघु खनिज व्यापार हेतु खुदरा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लघु खनिजों को थोक व्यापार बिहार राज्य खनन निगम द्वारा किया जाएगा तथा खुदरा व्यापार हेतु प्रत्येक जिलें में पर्याप्त संख्या में खुदरा अनुज्ञप्तियॉ समाहर्त्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। नवगठित नयी बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 की धारा 45 के तहत खुदरा अनुज्ञप्ति देने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत्त है।

उक्त आलोक में सभी इच्छुक / फर्मों से लघु खनिज के व्यापार के खुदरा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है :–

1. अनुज्ञप्ति देने के लिए निम्न अर्हता होगी :–
   - i. अनुज्ञप्तिधारी को, जिस क्षेत्र में वह अनुज्ञप्ति चाहता है, उस क्षेत्र में एक कार्यालय होना तथा कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं कर्मियों की सुविधा होना अनिवार्य है।
   - ii. अनुज्ञप्तिधारी के पास कम–से–कम 05 वाहनों को खड़ा करने की भूमि होनी चाहिए। लघु खनिज से लदे ट्रक किसी भी हालत में सरकारी सड़क अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं रखे जाने चाहिए। यदि अनुज्ञप्तिधारी के पास स्वयं की भूमि नहीं है तो वह किराये पर यह व्यवस्था कर सकते है।
   - iii. अनुज्ञप्तिधारी को PAN CARD Holder तथा Aadhar Card होना अनिवार्य है।
   - iv. अनुज्ञप्तिधारी को Police Verfication Report भी देना अनिवार्य होगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी हेतु अन्य शर्ते :–
   - i. खुदरा अनुज्ञप्ति मिलने पर GST Registration अनिवार्य होगा।
   - ii. अनुज्ञप्तिधारी को सभी व्यापार E-Challan के माध्यम से करना होगा।
   - iii. नियम 53 के तहत, अनुज्ञप्तिधारी के पास, यदि अपने ट्रक है, तो उनमें Digital Lock तथा GPS लगाना अनिवार्य होगा।
   - iv. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी वाहनधारी अथवा ट्रैक्टरधारी के साथ व्यापार नहीं करेंगे जिन्होंने Digital Lock तथा GPS नहीं लगवाया है, किन्तु बैलगाड़ी पर यह शर्त्त लागू नहीं होगी।
   - v. अनुज्ञप्तिधारी अपने सभी Return ससमय जिला खनन पदाधिकारी तथा विभाग के समक्ष दायर करेंगे।
   - vi. सभी खुदरा अनुज्ञप्ति 3 वर्षो के लिए दी जायेगी।
   - vii. अनुज्ञप्ति शुल्क प्रति वर्ष 10,000/– (दस हजार) रूपये की दर से कुल 30,000/– (तीस हजार) रूपये प्रारम्भ में ही ले लिये जायेंगे।
   - viii. अनुज्ञप्तिधारी को 03 वर्ष की अवधि के लिए 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की बैंक गारंटी देनी होगी।

3. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय कमीशन :– सभी खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को बिहार राज्य खनन निगम द्वारा लघु खनिज की बिक्री का कुल मूल्य (Ex Go Down of BSMC) पर कमीशन देय होगा। कंमीशन खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा तय किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवहन खर्च भी प्रति किलोमीटर की दर से देय होगा।

4. खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च :– खुदरा अनुज्ञप्तिधारी को देय परिवहन खर्च वही होगा जो समाहर्त्ता तय करेंगे।

5. इच्छुक आवेदक निम्न प्रपत्र में आवेदन दे सकते है :–

i. आवेदक का नाम –

ii. आवेदक का ई–मेल तथा मोबाईल नं0 –

iii. आवेदक का स्थायी पता –

iv. आवेदक का व्यापारिक पता (जहॉ वह लघु खनिज का व्यापार करना चाहते हों) –

v. आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय एवं कम्प्यूटर की सुविधा संबंधी विवरणी बताये कि कार्यालय कितना बड़ा है एवं कम्प्यूटर तथा अन्य कर्मी इत्यादि कितने है –

vi. आवेदक के पास स्वयं के कितने वाहन है –

vii. आवेदक के पास वाहन खड़े पार्किंग हेतु कितनी भूमि उपलब्ध है। आवेदक के पास स्वयं की भूमि न हो तो वह उचित किये पर भी इसकी व्यवस्था कर सकते है। कृपया उक्त भूमि का रकबा एवं पता स्पष्ट अंकित किया जाए।

viii. संलग्न कागजात : आवेदक निम्नलिखित कागजात संलग्न करे –

क) PAN CARD की प्रति।

ख) Aadhar Card की प्रति।

ग) यदि आवेदक फर्म है तो उसके निबंधन प्रमाण – पत्र की प्रति।

घ) चरित्र प्रमाण पत्र (Police Verification Report) की प्रति।

ङ) निम्न प्रकार का एक शपथ पत्र –

"मैं .... (आवेदक का नाम) घोषणा करता हूँ कि खुदरा अनुज्ञप्तिधारी के तौर पर समाहर्त्ता के समक्ष दी गई सभी सूचनाऐं सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे उपर खान एवं भूतत्व विभाग या किसी अन्य विभाग की कोई सरकारी राशि देय नहीं है अपर न ही मुझे सरकार द्वारा कभी Black List किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 2017 के तहत दी गई शर्ते तथा विज्ञापन में दी गई सभी शर्तो का पालन करूँगा। मैं लघु खनिज के परिवहन में उन्हीं वाहनधारियों से व्यवसाय करूँगा जिनपर Digital Lock तथा GPS लगा होगा। मैं ऐसे किसी वाहन के माध्यम से न खनिज खरीदूँगा और न बेयूँगा जिस पर GPS एवं Digital Lock नहीं लगा होगा।"

आवेदक का हस्ताक्षर

6. उपरोक्त आवेदन दिनांक 06.11.2017 तक निम्न पत्ते पर भेजे जाए।
जिला खनन कार्यालय, बक्सर

18/10/17

समाहर्त्ता, बक्सर।